

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक ०९ नवम्बर, 2015

विषय-

वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में इण्टरनेट से प्राप्त प्रकरणों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-1024/11-सी दिनांक 05.11.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में इण्टरनेट से राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों की सूची प्राप्त की गई, जिसमें निम्नवत 04 संदर्भों के सम्बन्ध में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु कोई सुसंगत सूचना/कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है:-

- (1) **FP/UP/Others/7610/2014. (0.15481 ha.)**
0.15481 Ha Forest Land Proposed for diversion is for Approach Road to BPCL Retail Outlet on Road NH-731(Varansi-Lucknow) between km stone 57 to 59.
- (2) **FP/UP/Road/11061/2015. (0.088 ha.)**
Construction of Munshiganj to Rawatpur Link Road Under Twarit Arthik Vikas Yojna.
- (3) **FP/UP/Road/11954/2015. (0.0331 ha.)**
Construction of Approach Road on the land of NH-91 km 16.750 to 16.850 Protected forest area of the proposed bridge under construction at Hindon River NH-58E, Gaziabad.
- (4) **FP/UP/Trans/13763/2015. (0.740016 ha.)**
132 KV D/C Faridnagar-Masuri(UPSIDC)T/L

उपरोक्त प्रकरण इण्टरनेट पर राज्य सरकार (वन विभाग) के स्तर पर कार्यवाही हेतु लम्बित है। प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही हेतु विषयगत प्रकरण से सम्बंधित सुसंगत अभिलेख शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।